

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्योपुर (म.प्र.)  
कमांक / एस.डब्ल्यू / 2020 / 3545 श्योपुर, दिनांक 04.04.2020

संशोधित आदेश

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश कमांक / एस.डब्ल्यू / 2020 / 3540 श्योपुर दिनांक 01.04.2020 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-


श्योपुर जिले में पशुओं हेतु चारा, पशु आहार की उपलब्धता एवं परिवहन को दृष्टिगत रखते हुये पशु चारा एवं पशु आहार की दुकान खोले जाने का समय प्रातः 7.00 बजे दोपहर 12.00 बजे तक दिनांक 06, 08, 10, 12, 14 को खुली रहेगी तथा शेष दिवस में बंद रहेगी। जिले में पशु चारा भूसा एवं खाद्यान्न के परिवहन को दृष्टिगत रखते हुये संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एक-एक, धर्म कांटा तौल हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।


शेष आदेश यथावत रहेगा।



पृष्ठा. क्रमांक / एस.डब्ल्यू / 2020 / 3546  
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त चंबल संभाग मुरैना।
3. पुलिस महानिरीक्षक चंबल जोन मुरैना।
4. कलेक्टर जिला श्योपुर।
5. पुलिस अधीक्षक श्योपुर।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्योपुर।
7. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल कूनो / सामान्य।
8. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्योपुर।
9. अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्योपुर / विजयपुर / कराहल।
10. अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्योपुर / बड़ौदा / विजयपुर।
11. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तहसील श्योपुर / विजयपुर / कराहल / वीरपुर / बड़ौदा।
12. मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्योपुर / बड़ौदा / विजयपुर की आदेश की मुनादी कराये जाने हेतु।
13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्योपुर / विजयपुर / कराहल की ओर आदेश की मुनादी कराये जाने हेतु।
14. समस्त कार्यालय प्रमुख ..... जिला श्योपुर की ओर सूचनार्थ।
15. समस्त थाना प्रभारी ..... जिला श्योपुर की ओर सूचनार्थ।
16. प्रभारी अधिकारी पुलिस कन्ट्रोल रूम श्योपुर।
17. जिला जनम्पर्क अधिकारी श्योपुर की ओर प्रचार प्रसार हेतु।

  
4/4/20  
(सुनील राज नायर)  
अपर जिला मजिस्ट्रेट  
जिला श्योपुर (म.प्र.)  
श्योपुर दिनांक 04.04.2020

  
4/4/20  
अपर जिला मजिस्ट्रेट  
जिला श्योपुर (म.प्र.)